न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : **श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.**

पंचायत निगरानी : 92 / 2017

RCMS No. 2017/00382

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1 चम्पालाल पुत्र शंकरलाल जाति सोनी निवासी सेवाड़ी तहसील बाली जिला पाली		1. भंवरलाल पुत्र मोतीजी जाति घांची निवासी सेवाड़ी तहसील बाली 2. ग्राम पंचायत सेवाड़ी जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री भंवरलाल, अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 25/10/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सेवाड़ी द्वारा मिसल संख्या 64 / 1985–1986, संकल्प संख्या 4 दिनांक 23.12.1999 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5002 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया है, वह प्रार्थी के रहवासीय मकान के पिछे स्थित गली है। उक्त गली की भूमि का पट्टा जारी किये जाने के कारण गली में आने जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया है तथा उक्त पट्टे की भूमि पर निर्माण होने से प्रार्थी के मकान के पीछे रोशनदान व खिड़कियों से हवा, रोशनी एवं प्रकाश अवरोधित हो गया है। ग्राम पंचायत द्वारा न तो मिसल कायम की गई है एवं न ही मौका निरीक्षण किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों में जो प्रक्रिया विहित है, उनमें से किसी भी प्रावधान की पालना नहीं की गई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में सार्वजनिक गली की भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पारित पट्टे को अपास्त करावें।

अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि अप्रार्थी के रहवासी मकान के पीछे गली के रूप में स्थित है, जिसमें कईं व्यक्तियों का पक्का निर्माण है। उक्त भूमि वर्तमान में गली के रूप में अवस्थित नहीं है। पूर्व में उक्त भूमि को अप्रार्थी की अतिक्रमित भूमि मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को उक्त भूमि से कब्जा हटाने हेतु नोटिस जारी किया था, जिसकी पालना में अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। इसके पश्चात पंचायत द्वारा दिनांक 23.02.1999 को

अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थी द्वारा तथाकथित अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा स्टेण्डिंग कमेटी पंचायत समिति बाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसमें दिनांक 28.05.1999 को निर्णय पारित करते हुए अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.1999 को अपास्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार कब्जा भूखण्ड पर पुराना हो तो प्रचलित बाजारू दर से अपीलाण्ट को भूमि विक्रय विलेख जारी किये जाने का निर्णय पारित किया। उक्त आदेश की पालना में पंचायत द्वारा प्रचलित बाजार दर से राशि जमा करवाने पर अप्रार्थी को पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थी द्वारा भूमि नियमन राशि 62370/– रूपये जरिये रसीद संख्या 1046 दिनांक 22.10.2000 पंचायत कोष में जमा करवाये है। उक्त आदेश के अनुमोदन होने के पश्चात पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट तथ्य साबित हो चुका है कि जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी का पुराना कब्जा था, जिसे हटाने हेतु पंचायत द्वारा सिलसिलेवार कार्यवाहीयां की गई है, जिससे पुराने कब्जे की ताईद होती है। अप्रार्थी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का प्रयोग कर विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत के आदेश की सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की एवं पंचायत के आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः प्रेषित किया। चूंकि प्रक्रिया अनुसार कार्यावाही पूर्व में ही सम्पादित हो चुकी थी, तद्नुसार नियम 146 की प्रक्रिया अनुसार नियम 165 (4) में विहित प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि को बाजार कीमत पर आवंटित की है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त आदेश का समक्ष स्तर से अनुमोदन होने के पश्चात पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की प्रक्रिया एवं कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। जिस भूमि को विवादित बताते हुए यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है, उस पर अप्रार्थी ही नहीं बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के कब्जे किए हुए है, जिसमें से स्वयं प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा करते हुए अपने रहवासी मकान के पीछे की ओर बाथरूम आदि का निर्माण किया जाकर अतिक्रमण किया गया है, जिस पर पंचायत द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थी आदतन शिकायती व्यक्ति है, जो स्वयं के अतिक्रमण को छुपाने की दृष्टि से एवं अप्रार्थी का हैरान व परेशान करने की नियत से यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो खारिज योग्य है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि में आने जाने का रास्ता अवरूद्ध करना बताया, जबकि स्वयं अप्रार्थी द्वारा ही उक्त भूमि को अवरूद्ध किया है। ग्राम पंचायत द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया है कि जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। यह तथ्य गलत है, क्योंकि स्वयं अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत से प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त की है, जिसकी प्रतिलिपी संलग्न है। ग्राम पंचायत के समक्ष रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने का दण्ड अप्रार्थी को नहीं दिया जा सकता है तथा न ही इसका दोषारोपण अप्रार्थी पर किया जा सकता है। अप्रार्थी को भूमि आवंटित होने के पश्चात भी उक्त गली बन्द नहीं हुई तथा अप्रार्थी को आवंटित भूमि छोडने की पश्चात गली के रूप

अति० जिला कलक्टर, पाली

में भूमि शेष रहती है, जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण किया जाकर गली एवं रास्ते को बन्द कर दिया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 165 (4) के तहत पट्टा जारी किया है, जिसमें नियम 146 में विहित प्रक्रिया की पालना की जानी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना पूर्व में ही की जा चुकी थी। पूर्व में वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जा चुका था, जिसमें उक्त भूमि पर वर्ष 1985 से पूर्व का अप्रार्थी का कब्जा होना स्वीकार किया था। इसके आधार पर पंचायत समिति बाली द्वारा अप्रार्थी का मौके पर कब्जा होना साबित होने पर अप्रार्थी के पक्ष में भूमि आवंटित करने हेतु प्रकरण ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कोरम में प्रस्ताव लेकर सर्वसम्मति से निर्णय पारित कर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, सेवाड़ी द्वारा मिसल संख्या 64/1985–1986, संकल्प संख्या 4 दिनांक 23.12.1999 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5002 के विरूद्ध पेश की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक/277 दिनांक 12.02.2018 के जरिये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत कार्यालय में जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल उपलब्ध नहीं है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल की प्रतियां प्रस्तुत की, जो ग्राम पंचायत से प्रमाणितसुदा है। उकत मिसल की प्रति से जैर निगरानी आज्ञा का परीक्षण करने पर यह तथ्य प्रकट होते है। मिसल की आदेशिका दिनांक 24.10.1985 के अनुसार पंचायत के चपरासी द्वारा मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मोतीलाल पुत्र मालाजी जाति घांची द्वारा न्यू कॉलोनी सेवाडी में अपने प्लॉट के आगे दक्षिण की ओर छीणे खरीकर कब्जा बढाकर अतिक्रमण किया गया है। इस पर मिसल कायम की जाकर सचिव को मोतीलाल पुत्र मालाजी के नाम नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात सिलसिलेवार बैठकों में अप्रार्थी को कब्जा हटाने हेतु नोटिस जारी किए गए, किन्तु अप्रार्थी द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया। इसके पश्चात मिसल दिनांक 24.03.1987 को प्रस्तुत हुई, जिसमें जवाब नोटिस पेश किया गया, जिस पर मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचो को मनोनीत किया गया। इसके पश्चात विभिन्न दिनांकों तक मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई। इसके पश्चात दिनांक 06.12.1988 को अतिक्रमण हटाने हेतु अन्तिम नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात मिसल दिनांक 21.02.1995 को प्रस्तुत हुई, जिसमें मोतीलाल ने अतिक्रमण उसके पुत्र भंवरलाल का होना बताया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी भंवरलाल को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के जवाब भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर मिसल दिनांक 24.03.1995 को प्रस्तुत हुई एवं मोतीलाल से उक्त भूमि के दस्तावेज तलब कराने के आदेश दिए गए। इसके पश्चात मिसल दिनांक 09.02.1999 को प्रस्तुत हुई, जिसमें तीन पंचों को मौका निरीक्षण कर मौका फर्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। उक्त आदेश की पालना में पंचो द्वारा दिनांक 12.02.1999 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें गैरसायल के पास 307'6 वर्गफुट भूमि पर अतिक्रमण होना जाहिर किया। इसके पश्चात मिसल दिनांक 23.

अति० जिला कलक्टर, पाली

02.1999 को कोरम में प्रस्तुत हुई, जिसमें धारा 62 के तहत गैरसालय को पंचायत की आज्ञा की अवहेलना करने के कारण 200/– रूपये जुर्माना एवं अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात भी अतिक्रमण अप्रार्थी द्वारा नहीं हटाये जाने के कारण दिनांक 09.03.1999 को अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त कर अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए। ग्राम पंचायत के उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा पंचायत समिति की प्रशासन समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें ग्राम पंचायत के आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया गया कि गैरसायल का कब्जा भूखण्ड पर पुराना हो तो प्रचलित बाजार दर से भूमि विक्रय विलेख जारी किया जावे। इस पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के अतिक्रमण का नियमानुसार बाजार दर से पट्टा बनाया जावे। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रचलित बाजार दर से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 62,370/– रूपये पंचायत कोष में जमा करवाए गए, जो रसीद संख्या 1046 दिनांक 22.10.2000 के जरिये जमा करवाए गए। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण स्वीकृति प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए निर्माण स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रकार जेर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत नियमों की सम्पूर्ण पालना की गई है। प्रकरण वर्ष 1985 से 1999 तक विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए निर्णित हुई है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, सेवाड़ी द्वारा मिसल संख्या 64/1985–1986, संकल्प संख्या 4 दिनांक 23.12.1999 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5002 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली